

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/

दिनांक

प्रार्थीगण :-

1.भारमल 2.पीथा 3.भगा 4.उगा 5.मोहन पि. कसू
6.जीयो पत्नि कसू 7.हस्तु पत्नि भगवाना 8.सिमरथा
पुत्र कसू जाति मेघवाल
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1.सचूराम पुत्र तगाराम 2.तिलोकाराम पुत्र तगाराम
के का.मु. :- 2/1.मानाराम 2/2.गोमाराम 2/3.
भीमाराम पि.तिलोकाराम 2/4.सुगणी पत्नि
तिलोकाराम 3.नीम्बाराम 4.तामलराम पि.तगाराम
5.बबरी पत्नि तगाराम 6.गैरीदेवी पत्नि टीलाराम
7.अमृतीदेवी पत्नि जुगताराम 8.आसीदेवी पत्नि
भंवराराम 9.आदूराम पुत्र ताजाराम, जाति मेघवाल
10.रेखाराम पुत्र राजूराम, जाति जाट,
निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 14/2021

दिनांक : 29.10.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. 804 रकबा 27.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर

अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1437-40

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण भारमल वगैरा
3. विप्रार्थीगण सचूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

31/10/21
(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक 29/10/21



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन कारी
चौहटन